फर्द अहकाम

भैरू बनाम कानूराम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

23/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
09/09/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी गत निरन्तर 3 तारीख पेशीयों से अनुपस्थित रहते हुए आज भी अनुपस्थित है। जिससे स्वयं प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत कुरेजात रिपोर्ट पर निर्णय नहीं किया जा सका है। पर्याप्त अवसर प्रार्थी प्रतिवादी को सुनवाई हेतु दिए जा चुके है। अतः प्रार्थी प्रतिवादी का अवसर बहस समाप्त (बंद) किया जाता है। पत्रावली वास्ते उचित अग्रिम आदेश/निर्णय बाबत कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 15/09/22 को पेश हो। Gaurav सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
15/09/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादीगण गत निरन्तर तारीख पेशीयों से अनुपस्थित रहते हुए आज भी अनुपस्थित है। इस प्रकार स्वयं के ही प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में कार्यवाही नहीं की जाती रही है। जिससे प्रार्थी/प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट बाबत आपत्ति प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता अप्रार्थी वादीगण को सुना गया। अप्रार्थी वकील अधिवक्ता [illegible] बहस में कथन किया गया प्रा[illegible] द्वारा आपत्ति प्रार्थनापत्र [illegible] किया गया है कि [illegible] जो कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई [illegible] वह Gaurav	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Bankawat
Date: 2022.11.16 11:58:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

गोकुलाल व अन्य **बनाम** कानूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 23/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/09/22	प्रार्थी प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है तथा कुरेजात रिपोर्ट पर प्रार्थी प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर भी नहीं है एवं प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट मनमाफिक तैयार की गई है जिससे प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट निरस्त की जाकर पुनः तलब की जावे। जबकि तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात विधिक प्रावधानों की पूर्णतः पालना की जाकर न्यायसंगत कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई है जिसके बाबत पूर्व सूचना के रूप में प्रार्थी प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस भी सूचित किया गया था जो नोटिस प्रार्थीगण को प्राप्त भी हुआ है जिसकी तामील प्रति भी कुरेजात रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत की गई है इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण स्वयं कुरेजात रिपोर्ट बनाते समय मौका पर उपस्थित भी थे जिसका अंकन भी तहसीलदार रिपोर्ट में अंकित है साथ ही प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर मौके पर मौजूद अन्य स्वतंत्र गवाहों के भी हस्ताक्षर अंकित है। जिससे कुरेजात प्रक्रिया पर आक्षेप लगाना सर्वथा अनुचित है इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा मात्र औपचारिक आपत्ति के कोई मान्य विधिक आपत्ति मय साक्ष्य के भी प्रस्तुत नहीं की गई है कि किस प्रकार प्रस्तुत रिपोर्ट उपयुक्त व न्याय संगत नहीं है। जबकि [illegible] कुरेजात रिपोर्ट पक्षकारान [illegible] जिसमे पक्षकारान की [illegible], हितों व कब्जा

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Bankawat
Date: 2022.11.16 11:58:20 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

गैरूलाल व अन्य बनाम / बाबूराम व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

23/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/09/22	बाबत को भी पूर्णतः खारिज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के कथन पूर्णतः भ्रामक व मात्र संदेह पर आधारित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण अंतिम डिक्री फरमाया जावे।	
	हमने अधिवक्ता अप्रार्थी को सुना, तर्कों पर मनन किया व तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। रिपोर्ट के संलग्न नोटिसों की पावती से यह स्पष्ट होता है कि कुरेजात रिपोर्ट हेतु पक्षकारान को विधिवत पूर्व सूचित किया गया है जो कि पक्षकारान को प्राप्त भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त गवाहों के हस्ताक्षर भी यह प्रमाणित करते हैं कि कुरेजात रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए स्वच्छ प्रक्रिया के रूप में तैयार की गई है। यद्यपि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर औपचारिक आपत्ति मात्र प्रस्तुत की गई है जिसकी प्रामाणिकता का कोई साक्ष्य उपलब्ध/प्रस्तुत नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा कुरेजात रिपोर्ट की गुणवत्ता के खंडन के रूप में कोई अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही कुरेजात रिपोर्ट की गुणवत्ता [illegible] कथन किया गया [illegible] रिपोर्ट के अवलोकन से [illegible] कुरेजात रिपोर्ट [illegible] प्रतीत होती है। इस प्रकार पूर्णतः विधिक	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Bankawat
Date: 2022.11.16 11:58:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

भैरूलाल व अन्य बनाम भोदूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 23/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	15/09/22	प्रक्रिया के पालन में तैयार कुर्रेजात प्रस्ताव पर संदेह / औपचारिक आपत्ति प्रस्तुत करना उचित नहीं समझते हैं अतः प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थनापत्र खारिज किया जाकर तहसीलदार आमेर की ओर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव अनुसार वादी वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Gaurav सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Bankawat
Date: 2022.11.16 11:58:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner